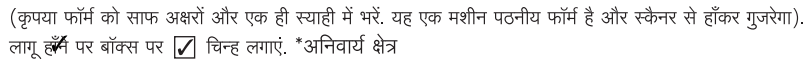


गैर-व्यक्तिगत निकाय के लिए - (एकल स्वामित्व के अलावा)



आवेदन दिनांक [D][D][M][M][Y][Y][Y][Y] सीकेवाईसी नंबर [][][][][][][][][][][][][][][][] रेंटिटी कस्टमर आईडी (मौजूदा ग्राहक के लिए) [][][][][][][][][][][][][][][][]
 शाखा कोड [][][][][] मेरा/हमारा खाता अपनी [] (Branch Name) शाखा में खोलें केस टाइप ☐ आर-किट ☐ गैर-आर-किट
 मौजूदा सीआईएफ आईडी: अपडेट ☐ मैं इस ग्राहक सूचना फॉर्म में दिए गए विवरण के अनुसार हमारे मौजूदा सीआईएफ _____ को अपडेट करना चाहता हूँ.

*नाम																										
*निगमन का दिनांक	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y	*निगमन का शहर											*निगमन का देश						
*पैन नंबर									जीएसटीएन नंबर									*पंजीकृत	☐ हाँ	☐ नहीं						
या ☐ फॉर्म 60 -	फॉर्म 60 एक घोषणा है जिसे किसी इंडिविजुअल या व्यक्ति/निकाय द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए जिसके पास पैन नहीं है और जो आयकर अधिनियम के नियम 114बी में निर्दिष्ट कोई भी लेनदेन संपन्न करता है.																									
*संविधान	☐ पार्टनरशिप ☐ प्राइवेट लिमिटेड ☐ लिस्टेड पब्लिक लि. ☐ अनलिस्टेड पब्लिक लि. ☐ सार्वजनिक क्षेत्र ☐ एचयूएफ ☐ सार्वजनिक ट्रस्ट ☐ निजी ट्रस्ट ☐ सोसायटी ☐ एसोसिएशन ☐ वैधानिक निकाय ☐ एलएलपी ☐ अन्य																									
*उद्योग का प्रकार	☐ मैयूफैक्चरिंग ☐ एनबीएफसी ☐ कंस्ट्रक्शन ☐ गैर-लाभकारी संगठन ☐ माइक्रो एंटरप्राइजेस ☐ अन्य																									
*वार्षिक कारोबार	☐ 0-5 लाख ☐ 5-10 लाख ☐ 10-25 लाख ☐ 25-50 लाख ☐ 50 लाख-1 करोड़ ☐ 1-5 करोड़ ☐ 5-25 करोड़ ☐ 25-50 करोड़ ☐ 50-100 करोड़ ☐ > 100 करोड़																									
(औसत. कॉपी के लिए आय)																										
कानूनी निकाय आयडेंटिफायर नंबर													कानूनी निकाय आयडेंटिफायर समाप्ति दिनांक	D	D	M	M	Y	Y	Y	Y					
दस्तावेज पहचान संख्या																										
*एनपीओ/एनजीओ के लिए दर्पण युनीक आईडी																										
रेरा पंजीकरण संख्या									कंपनी वेबसाइट यूआरएल																	

पसंदीदा डाक पता (प्रमाण अनिवार्य है)

☐ पंजीकृत कार्यालय का पता

☐ व्यवसाय का मुख्य स्थान

दुकान/कार्यालय नं. और
इमारत का नाम/नं.
सड़क/गली का नाम/नं.

*लैंडमार्क

*राज्य

*शहर

*देश

*पिन कोड

संपर्क विवरण

देश कोड एसटीडी कोड फोन नंबर एक्सटेंशन

मोबाइल नंबर (एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए)

ईमेल आईडी (ई-स्टेटमेंट और ई-अलर्ट)

कृपया अपना सही ईमेल आईडी देकर पर्यावरण हितैषी ई-स्टेटमेंट चुनने पर विचार करें, भविष्य में कागजी स्टेटमेंट के लिए निकटतम आरबीएल शाखा पर जाएँ.

पंजीकृत कार्यालय का पता (प्रमाण अनिवार्य है)

☐ पसंदीदा डाक पते के समान

दुकान/कार्यालय नं. और
इमारत का नाम/नं.
सड़क/गली का नाम/नं.

*लैंडमार्क

*राज्य

*शहर

*देश

*पिन कोड

***व्यवसाय का मुख्य स्थान** (ए. पंजीकृत पते से भिन्न होने पर नीचे भरना होगा **बी.** प्रमाण अनिवार्य है)

दुकान/कार्यालय नं. और
इमारत का नाम/नं.
सड़क/गली का नाम/नं.

*लैंडमार्क

*राज्य

*शहर

*देश

*पिन कोड

	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं का नाम	पदनाम	निदेशक आईडी नंबर (केवल लागू होने पर)	कस्टमर आईडी नं. (यदि मौजूदा ग्राहक है)
1				
2				
3				
4				

☐ एसएमएस बैंकिंग ☐ बिज बैंक सहित कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग (यदि लागू हो तो चिन्ह लगाएँ) ☐ डेबिट कार्ड (केवल ऐसे खाते के लिए प्रदान किया जाता है जहाँ संचालन का तरीका एकल/कोई भी हो) (यदि लागू हो तो चिन्ह लगाएँ)

☐ चालू खाता
☐ बचत खाता
☐ सावधि जमा
 एमबी/एक्यूबी/क्यूटीपी रु.

☐ *अकेले ☐ **बोर्ड रिजोल्यूशन (बीआर)/एमओपी पत्र के अनुसार ☐ अलग-अलग ☐ अन्य Please specify
 (*केवल एचयूएफ खातों के लिए लागू) (**जैसा लागू हो)
 (कोई डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा)

चेक बुक	☐ हाँ	☐ नहीं	वैकल्पिक एसएमएस अलर्ट ☐ हाँ ☐ नहीं वैकल्पिक ईमेल अलर्ट ☐ हाँ ☐ नहीं कृपया ध्यान दें कि वैकल्पिक अलर्ट केवल बचत खाते में रु. 2000 और से अधिक राशि और चालू खातों के लिए रु. 5000 से अधिक राशि के लिए भेजा जाएगा। वैकल्पिक अलर्ट के लिए शुल्क देय होगा। कृपया विवरण के लिए शुल्क की अनुसूची देखें। कृपया ध्यान दें, आपको अनिवार्य अलर्ट निःशुल्क मिलते रहेंगे, चाहे लेन-देन राशि जो भी हो।									
☐ पहला आवेदक	☐ हाँ	☐ नहीं	कार्ड प्रकार:	☐ एंटरप्राइज	☐ सिग्रेचर+	☐ इनसाइनिया	☐ पिनैकल	☐ क्रेस्ट	☐ अन्य			
☐ दूसरा आवेदक	☐ हाँ	☐ नहीं		☐ एंटरप्राइज	☐ सिग्रेचर+	☐ इनसाइनिया	☐ पिनैकल	☐ क्रेस्ट	☐ अन्य			
☐ तीसरा आवेदक	☐ हाँ	☐ नहीं		☐ एंटरप्राइज	☐ सिग्रेचर+	☐ इनसाइनिया	☐ पिनैकल	☐ क्रेस्ट	☐ अन्य			
☐ चौथा आवेदक	☐ हाँ	☐ नहीं		☐ एंटरप्राइज	☐ सिग्रेचर+	☐ इनसाइनिया	☐ पिनैकल	☐ क्रेस्ट	☐ अन्य			
*संयुक्त संचालन के मामले में कोई डेबिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा												

पत्राचार की पसंदीदा भाषा: ☐ अंग्रेजी ☐ हिंदी ☐ मराठी ☐ असमिया ☐ बंगाली ☐ गुजराती ☐ कन्नड़ ☐ मलयालम ☐ उड़िया
☐ पंजाबी ☐ तमिल ☐ तेलगु ☐ अन्य: _____

प्रारंभिक राशि रु. शब्दों में

☐ नकद^

☐ चेक संख्या @ दिनांक आहरण बैंक शाखा

☐ मेरे आरबीएल बैंक खाता नंबर से डेबिट करें

अस्वीकरण: खाते में अपर्याप्त धनराशि होने की स्थिति में, लागू सेवा शुल्क की वसूली के लिए बैंक द्वारा उस पर लियन अंकित किया जाएगा।

^यदि खाता खोलने की आरंभिक राशि नकद में है, तो ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से शाखा में जाना चाहिए और आधिकारिक रसीद प्राप्त करनी चाहिए। (केवल सीएएसए के लिए लागू)

@चेक को क्रॉसड अकाउंट पेयि होना चाहिए तथा 'आरबीएल बैंक लि. खाता < आवेदक का नाम >' के नाम से देय होना चाहिए।

☐ मैं/हम बुक करना चाहते हैं ☐ कॉलेबल एफडी ☐ नॉन-कॉलेबल फिक्स्ड डिपॉजिट ☐ एनआरओ टैक्स सेवर एफडी: (अवधि-5 वर्ष लॉक-इन)
 राशि करेंसी मूल्य दिनांक
 राशि शब्दों में (*मूल्य दिनांक स्पष्ट फंड्स की उपलब्धता के अधीन दी जाएगी)
☐ नकद^ ☐ चेक संख्या @ दिनांक आहरण बैंक शाखा
☐ मेरे आरबीएल बैंक खाता नंबर से डेबिट करें
 अवधि महीने दिन ब्याज दर % (प्रति वर्ष)
 ब्याज भुगतान विकल्प ☐ परिपक्वता पर ☐ मासिक (मासिक भुगतान के लिए डिस्काउंट दे दर लागू होगी) ☐ त्रैमासिक ☐ वार्षिक
 ब्याज भुगतान इस प्रकार होगा: ☐ कैलेंडर दिन ☐ जमा राशि वर्षगांठ
 परिपक्वता निर्देश: ☐ मूलधन और ब्याज नवीनीकृत करें ☐ मूलधन और ब्याज चुकाएं ☐ नवीनीकरण न करें - मूलधन और ब्याज चुकाएं
 ब्याज/परिपक्वता भुगतान इन्हें करें ☐ डीडी/पीओ या ☐ अकाउंट नंबर ☐ आईएफएससी कोड
 यदि आप सावधि जमा परिपक्वता राशि को अन्य बैंक में जमा करना चाहते हैं, तो कृपया हमें लाभार्थी बैंक का कैसलड चेक प्रदान करें।
☐ मैं/हम अपने बचत/चालू खाते में ऑटो स्वीप सुविधा (मनी मैक्स सुविधा) सक्रिय करना चाहते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत, मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं और सहमत हूँ/हैं कि 181 दिनों डिफॉल्ट अवधि और दैनिक बुकिंग बारंबारता के साथ सावधि जमा (एफडी) बनाए जाएँ। स्वीप-आउट सीमा (वह राशि जिससे अधिक सावधि जमा बनाई जानी चाहिए) संबंधित खाते पर लागू मासिक/त्रैमासिक औसत शेष (एमएबी/क्यूएबी) के दोगुने या रु.50,000 में से जो भी अधिक हो, वह होगी। उक्त सीमा से अधिक शेष राशि से न्यूनतम रु.5,000 और उसके बाद रु.5,000 के गुणकों में, अधिकतम रु.25,00,000 तक की एक एकल एफडी बनाई जानी चाहिए।
 क्या पहला आवेदक वरिष्ठ नागरिक है? ☐ हाँ (यदि हाँ, तो बैंक की केवाईसी नीति के अनुसार आयु प्रमाण पत्र दिखाने वाले दस्तावेज की एक प्रति संलग्न करें) ☐ नहीं
 स्वीप-इन सुविधा निर्देश: ☐ हाँ ☐ नहीं आरबीएल बचत/चालू खाता नंबर लिंक करें
 (केवल ऑटो स्वीप सुविधा (मनी मैक्स सुविधा) के अलावा बुक की गई सावधि जमा राशियों पर लागू)

कॉलेबल डिपॉजिटर्स - ग्राहक आंशिक/पूर्ण समय पूर्व निकासी कर सकते हैं.

नॉन-कॉलेबल डिपॉजिट्स - ग्राहक समय पूर्व निकासी नहीं कर सकते.

[^]यदि खाता खोलने की प्रारंभिक राशि नकद में है तो ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से शाखा में जाना चाहिए और आधिकारिक रसीद प्राप्त करनी चाहिए.

@चेक क्रॉसड अकाउंट पेयी होना चाहिए और 'आरबीएल बैंक लि. अकाउंट < आवेदक का नाम >' के नाम से देय होना चाहिए.

नोट: 1. यदि हमें सावधि जमा की परिपक्वता से पहले आपसे कोई विशिष्ट निर्देश प्राप्त नहीं होता है, तो हम सावधि जमा को सावधि जमा की मूल अवधि के लिए, परिपक्वता/जमा राशि के नवीनीकरण के दिन लागू ब्याज दर पर नवीनीकृत करेंगे। एफडी की पूर्ण/आंशिक समय पूर्व निकासी पर, उस अवधि के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए एफडी वास्तव में बैंक के पास रही है, जो 1% के जुमाने के अधीन है। 2. स्वीप इन निर्देशों के तहत समय पूर्व निकासी के लिए, लिंक किए गए सावधि जमा को निर्देशित बचत/चालू खाते में अत्यंत शेष राशि को पूरा करने के लिए लागू समय पूर्व खंडों के साथ अंतिम रूप से फर्स्ट आउट के आधे पर समय पूर्व तोड़ा जाएगा। यह सुविधा तभी दी जाती है, जब बचत/चालू खाते और सावधि जमा खाते में प्रथम खाताधारक समान हो। बचत/चालू खाते के मामले में एफडी के प्रति ओडी सुविधा का लाभ लेने के मामले में, स्वीप-इन सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग्राहक की घोषणा (कृपया किसी एक विकल्प पर निशान लगाएं)

- ☐ मैंने/हमने बैंकिंग प्रणाली में किसी भी बैंक से कोई कर्ज की सुविधा नहीं ली है. भविष्य में, यदि मैं/हम किसी अन्य बैंक से कोई कर्ज की सुविधा लेते हैं, तो मैं/हम ऐसी कर्ज की सुविधा प्राप्त करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर तालिका ए के अनुसार सभी विवरणों के साथ आरबीएल बैंक को सूचित करूंगा/करेंगे.

☐ मैं/हम बैंकिंग प्रणाली में रु.5 करोड़ से कम कर्ज सुविधाएं ले रहे हैं. मैं/हम बैंकिंग प्रणाली में प्राप्त कर्ज की सुविधाओं के रु. 5 करोड़ या उससे अधिक हो जाने पर आरबीएल बैंक को सूचित करने का वचन देते हैं.

☐ मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैं/हम आरबीआई परिपत्र* (अपवाद सूची के लिए तालिका सी देखें) के अनुसार अपवाद श्रेणी में आते हैं, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है.

☐ मैं/हम तालिका 'ए' में बताए गए विवरणों के अनुसार अन्य बैंकों/आरबीएल बैंक से कर्ज की सुविधाएं ले रहे हैं और यहां दिए गए विवरणों की सटीकता की पुष्टि करते हैं.

☐ आरबीआई परिपत्र के संदर्भ में, मैं/हम समझते हैं कि सीसी/ओडी कर्जदार जहां बैंकिंग प्रणाली में समग्र जोखिम रु.5 करोड़ से अधिक है, वहां कर्जदार केवल 'एक बैंक' में चालू खाता रख सकता है, बशर्ते बैंक में कर्ज के जोखिम का 10% से अधिक हो (सीसी/ओडी इसका एक हिस्सा होना चाहिए). मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मेरे पास कोई अन्य चालू खाता नहीं है और आरबीएल बैंक के चालू खाते को अपना एकमात्र और विशिष्ट चालू खाता बनाए रखूंगा.

अनु. क्र.	बैंक का नाम	जोखिम प्रकार (सीसी या ओडी या अन्य कर्ज जोखिम)	% जोखिम	राशि
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
कुल				

5 से अधिक बैंकों से एक्सपोजर के लिए, उपरोक्त प्रारूप में अलग पन्ना जोड़ें। (एक्सपोजर का अर्थ है बैंकिंग सिस्टम में स्वीकृत फंड आधारित और गैर-फंड आधारित कर्ज की सुविधाओं का कुल योग)

आरबीएल बैंक में कुल एक्सपोजर के 10% से कम वाले सीसी/ओडी खातों के लिए या कलेक्शन अकाउंट्स के लिए

मैं/हम आरबीएल बैंक को खाते को डेबिट करने और एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से निर्धारित खाता संख्या में धनराशि को अंतरित करने के लिए अधिकृत करते हैं:

लाभार्थी खाते का नाम (अन्य बैंक में): _____

बैंक का नाम:	शाखा का नाम:	आईएफएससी कोड:
--------------	--------------	---------------

- ☐ मैं इस घोषणा के अनुसार अपने खाते में स्थायी निर्देश सेट करना चाहता/चाहती हूँ

*एसआई आरंभ दिनांक: खाता खोलने/रुपांतरण का दिनांक | D | D | M | M | Y | Y | Y | Y | एसआई समाप्ति का दिनांक: दिसंबर 2099. *डिफॉल्ट एसआई आवृत्ति अगले दिन सुबह के अनुसार सेट की जाएगी.

मैं/हम आरबीएल बैंक को सीआरआईएलसी, क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) और नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेस लि. (एनईएसएल) से एक्सपोजर का विवरण सत्यापित करने के लिए अधिकृत करते हैं।

मैं/हम बैंक को कम से कम अर्ध वार्षिक आधार पर या जब भी कर्ज एक्सपोजर की रूपरेखा में कोई बदलाव होता है, जो भी पहले हो, एक्सपोजर विवरण प्रदान करेंगे।

मैं/हम जानते हैं कि जब ओडीसीसी/कलेक्शन अकाउंट को नियमित चालू खाते/ओडी-सीसी खाते में परिवर्तित किया जाता है, तो मुझे/हमें आवश्यक सुविधा के लिए फिर से आवेदन करना होगा।

मैं/हम यह सुनिश्चित करेंगे कि डेबिट फ्रीज के साथ कलेक्शन अकाउंट/ओडी-सीसी खाते में परिवर्तित किए गए खातों के लिए नीचे दी गई सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी।

- नेट बैंकिंग (रिटल और सीआईबी) पर लेनदेन की पहुंच निष्क्रिय कर दी जाएगी
- सभी कार्ड स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिए जाएंगे
- यदि कोई चेक जारी किया गया है तो उसे रोक दिया जाएगा
- ईसीएस, एसआई, ऑटो स्वीप-आउट सुविधा बंद कर दी जाएगी
- यूपीआई, पीओएस आदि जैसे डिजिटल लेनदेन की पहुंच बंद कर दी जाएगी

1. रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के लिए खाते (रेरा)
2. आरबीआई द्वारा अनुमत विशिष्ट गतिविधियों के लिए पेमेंट एग्रीगेटर/प्रीपेड भुगतान इंस्ट्रुमेंट्स जारीकर्ताओं के नोडल या एस्क्रो खाते
3. डेबिट कार्ड/एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता/अधिग्रहणकर्ता से संबंधित बकाया के निपटारे के लिए खाते
4. फेमा, 1999 के तहत अनुमत खाते
5. आईपीओ/एनएफओ/एफपीओ/शेयर के उद्देश्य के लिए खाते बायबैंक/लाभंश भुगतान/वाणिज्यिक पत्रों का जारी करना/डिबेंचर का आवंटन/अनुदान
6. करों, शुल्कों, वैधानिक बकाया आदि के भुगतान के लिए खाते, जो उन्हें एकत्र करने के लिए अधिकृत बैंकों के साथ खोले गए हैं, ऐसे बैंकों के कर्जदारों के लिए जो ऐसे करों, शुल्कों, वैधानिक बकाया आदि एकत्र करने के लिए अधिकृत नहीं हैं
7. किसी विशिष्ट प्रोजेक्ट के नकदी प्रवाह को प्राप्त करने/निगरानी करने के लिए किसी बैंक द्वारा खोले गए खाते, बशर्ते कर्जदार ने उस प्रोजेक्ट के लिए कोई सीसी/ओडी सुविधा का लाभ न उठाया हो
8. करेंसी की सोर्रिंग के लिए व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटरों और उनके एजेंटों, कैश-इन-ट्रांजिट (सीआईटी) कंपनियों/कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसियों (सीआरए) के खाते
9. इंटर-बैंक अकाउंट्स
10. ऑल इंडिया फायनान्शियल इंस्टीट्यूट्स (एआईएफआई) के खाते, जैसे कि एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी
11. केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विशिष्ट निर्देशों के तहत खोले गए खाते
12. केंद्र या राज्य सरकारों/विनियामक एजेंसियों के आदेशों द्वारा अटैच किए गए खाते निकाय/न्यायालय/जांच एजेंसियां आदि, जहां ग्राहक अपनी इच्छा से कोई डेबिट नहीं कर सकता

अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों की मुहर के साथ हस्ताक्षर (प्रचालन के तरीके के अनुसार हस्ताक्षर किए जाने चाहिए)
1	*Signature

अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों का नाम	अधिकृत व्यक्ति/व्यक्तियों की मुहर के साथ हस्ताक्षर (प्रचालन के तरीके के अनुसार हस्ताक्षर किए जाने चाहिए)
2	*Signature
3	*Signature
4	*Signature
5	*Signature

11. कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग नामांकन (बिज़ बैंक सहित)

*यूजरनेम	*यूजर का हस्ताक्षर (काली स्याही में मुहर के साथ)	*संपर्क विवरण	*#सीआईबी अधिकार (जैसा लागू हो चुके)
यूजरनेम 1		ईमेल आईडी मोबाइल	☐ एक्सेस देखें ☐ लेनदेन एक्सेस - आरंभकर्ता (निर्माता) ☐ लेनदेन एक्सेस - प्राधिकरणकर्ता (जांचकर्ता) ☐ लेनदेन एक्सेस - दोहरा (निर्माता और जांचकर्ता)
यूजरनेम 2		ईमेल आईडी मोबाइल	☐ एक्सेस देखें ☐ लेनदेन एक्सेस - आरंभकर्ता (निर्माता) ☐ लेनदेन एक्सेस - प्राधिकरणकर्ता (जांचकर्ता) ☐ लेनदेन एक्सेस - दोहरा (निर्माता और जांचकर्ता)
यूजरनेम 3		ईमेल आईडी मोबाइल	☐ एक्सेस देखें ☐ लेनदेन एक्सेस - आरंभकर्ता (निर्माता) ☐ लेनदेन एक्सेस - प्राधिकरणकर्ता (जांचकर्ता) ☐ लेनदेन एक्सेस - दोहरा (निर्माता और जांचकर्ता)
यूजरनेम 4		ईमेल आईडी मोबाइल	☐ एक्सेस देखें ☐ लेनदेन एक्सेस - आरंभकर्ता (निर्माता) ☐ लेनदेन एक्सेस - प्राधिकरणकर्ता (जांचकर्ता) ☐ लेनदेन एक्सेस - दोहरा (निर्माता और जांचकर्ता)
सीआईबी के लिए प्रचालन का तरीका		☐ एकल/अलग-अलग ☐ बोर्ड रिजोल्यूशन के अनुसार (कृपया बोर्ड रिजोल्यूशन (बीआर)/पार्टनरशिप लेटर प्रदान करें जैसा लागू हो) ☐ अन्य	
बल्क डेबिट प्रकार		☐ बहुविध डेबिट - बहुविध क्रेडिट ☐ एकल डेबिट - बहुविध क्रेडिट	

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ऊपर बताए गए अधिकारियों/व्यक्तियों को हमारी ओर से 'आरबीएल कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग सेवाओं' के अधिकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीकृत करें, ताकि वे नीचे उल्लिखित सभी खातों में फंड ट्रांसफर सहित लेनदेन देख सकें और/या संचालित कर सकें और समय-समय पर बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट/कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दी जाने वाली विभिन्न अन्य ग्राहक सेवाओं का लाभ उठा सकें।

कृपया ध्यान दें:

- सभी अधिकार सीआईबी स्तर पर प्रदान किए जाते हैं। - यदि लेनदेन अधिकार प्रदान किए जाने हैं, तो कृपया इसमें उल्लिखित उचित सीमा विवरण के साथ एक बीआर प्रदान करें। - यदि संचालन का तरीका एकल है, तो नीचे उल्लिखित डिफॉल्ट सीमाएँ लागू होती हैं: <table border="1"> <thead> <tr> <th>लेनदेन</th><th>सीमा</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आरबीएल से आरबीएल के अपने खाते में अंतरण</td><td>असीमित</td></tr> <tr> <td>आरबीएल/एनईएफटी/आरटीजीएस के भीतर तीसरे पक्ष के अंतरण</td><td>रु. 5 करोड़</td></tr> <tr> <td>आईएमपीएस प्रति दिन और प्रति लेनदेन</td><td>रु. 5 लाख</td></tr> </tbody> </table> - कमीत कमी यूजर म्हेनून एक अनोखा इनिशिएटर आणि अथोरायझर हवा किंवा ड्यूएल यूजर हवा. - बिझबैंक ऑप सध्या फक्त सीआयबीवर चेकर्ससाठी उपलब्ध आहे.	लेनदेन	सीमा	आरबीएल से आरबीएल के अपने खाते में अंतरण	असीमित	आरबीएल/एनईएफटी/आरटीजीएस के भीतर तीसरे पक्ष के अंतरण	रु. 5 करोड़	आईएमपीएस प्रति दिन और प्रति लेनदेन	रु. 5 लाख	- कॉर्पोरेट यूजर आईडी पंजीकृत मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर भेजी जाएगी - सोल डुअल यूजर द्वारा शुरू किए गए लेनदेन के लिए किसी और प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी, और जमा करने पर डेबिट तुरंत प्रक्रियायित हो जाएगा। - गैर-वित्तीय लेनदेन अधिकार, जैसे स्टेटमेंट, बैलेंस सर्टिफिकेट, ब्याज प्रमाणपत्र यूजर को डिफॉल्ट रूप से प्रदान किए जाते हैं। - वित्तीय लेनदेन में स्क्रीन ट्रांसफर, बल्क अपलोड, चेक बुक अनुरोध, स्टॉप चेक, कर भुगतान, बिल भुगतान और डीडी अनुरोध शामिल हैं। - संबंधित यूजर से जुड़े कर्ज और सावधि जमा को वे देख सकते हैं। यदि सीआईबी पंजीकरण के बाद कोई नया कर्ज/सावधि जमा खाता खोला जाता है, तो कृपया उन यूजर की सूची प्रदान करें जिन्हें उन खातों तक पहुँच दी जानी चाहिए *यदि कुछ यूजर के लिए केवल विशिष्ट खातों तक ही पहुँच सीमित करनी है, तो कृपया अनुलग्नक भरें।
लेनदेन	सीमा								
आरबीएल से आरबीएल के अपने खाते में अंतरण	असीमित								
आरबीएल/एनईएफटी/आरटीजीएस के भीतर तीसरे पक्ष के अंतरण	रु. 5 करोड़								
आईएमपीएस प्रति दिन और प्रति लेनदेन	रु. 5 लाख								

12 *एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा

वास्तविक लाभकारी स्वामी का विवरण जिसमें अतिरिक्त एफएटीसीए और सीआरएस जानकारी शामिल है (कृपया पूर्णता के लिए अन्य संदर्भ शामिल करें)	
1. निकाय का नाम:	2. ग्राहक आईडी:
3. कर निवास का पता (शहर, राज्य, देश और पिन कोड सहित):	
4. निगमन का देश:	5. निगमन का शहर:
6. एंटीटी आयडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट और नंबर: (उदा. निगमन का प्रमाणपत्र, वैट नं.: इत्यादि)	
7. पहचान दस्तावेज़ जारी करने वाला देश:	
8. *रिपोर्टिंग उद्देश्य के लिए निकाय का प्रकार: (कृपया किसी भी 1 पर चिन्ह लगाएँ)	
ए) वित्तीय संस्थान1 (यदि हों तो कृपया भाग ए भरें) बी) प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफई (यदि हों तो कृपया भाग बी भरें) (प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफई का अर्थ है एक एनएफई जो अपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समुचित अमेरिकी मालिकों के बारे में जानकारी आईआरएस को रिपोर्ट करने का चुनाव करता है) सी) क्या निकाय सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला निकाय है/ सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी से संबंधित निकाय है2 (यदि हों तो कृपया भाग बी.1 / बी.2 भरें) डी) क्या इकाई एक निष्क्रिय गैर-वित्तीय इकाई है3 (यदि हों तो कृपया भाग बी.4 और भाग सी भरें) ई) क्या इकाई एक सक्रिय गैर-वित्तीय इकाई है4 (बिंदु संख्या क, ख, ग और घ के अलावा सभी निकाय)	

12 *एफएटीसीए/सीआरएस घोषणा (जारी..)

*कृपया निकाय के प्रकार का चयन करने के लिए अपने कर सलाहकार से सलाह लें.

कृपया लागू कर निवासी घोषणा पर चिन्ह लगाएँ: (कोई एक)

☐ निकाय भारत की कर निवासी है और किसी अन्य देश की कर निवासी नहीं है या

☐ निकाय नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित देश/देशों की कर निवासी है

कृपया कर उद्देश्यों के लिए उन सभी देशों का संकेत करें जिनमें निकाय निवासी है और नीचे संबंधित कर आईडी नंबर दें:

देश	टैक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर%	पहचान प्रकार (टीआईएन या अन्य%, कृपया निर्दिष्ट करें)

% यदि टैक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर (टीआईएन) उपलब्ध नहीं है, तो कृपया कार्यात्मक समकक्ष जानकारी प्रदान करें.

यदि आप जिस देश में कर निवासी हैं, वह ऐसे आयडेंटिफायर्स जारी करता है, तो टीआईएन या कार्यात्मक समतुल्य जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है. यदि कोई टीआईएन अभी तक उपलब्ध नहीं है या अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो कृपया स्पष्टीकरण दें और इसे फॉर्म में संलग्न करें.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर नियम, 1962 के भाग के रूप में नियम 114एफ से 114एच को अधिसूचित किया है, जिसके अनुसार बैंक जैसे भारतीय वित्तीय संस्थानों को हमारे सभी खाताधारकों से अतिरिक्त व्यक्तिगत, कर और लाभकारी स्वामी की जानकारी और कुछ प्रमाणपत्र और दस्तावेज लेने होंगे. प्रासंगिक मामलों में, जानकारी कर अधिकारियों/नियुक्त एजेंसियों को रिपोर्ट करनी होगी. अनुपालन के लिए, हमें खाते से उचित रोक या उससे संबंधित किसी भी आय को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रोक लगाने वाले एजेंटों जैसे किसी भी संस्थान को जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है.

यदि आपके द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी में कोई परिवर्तन होता है, तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप हमें तुरंत इसकी सूचना दें, यानी 30 दिनों के भीतर.

यदि आपके पास अपने कर निवास के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया अपने कर सलाहकार से संपर्क करें. यदि आप एक अमेरिकी नागरिक या निवासी या ग्रीन कार्ड धारक हैं, तो कृपया अपने यूएस टैक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर के साथ विदेशी देश की जानकारी के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल करें.

प्रमाणन

मैंने इस फॉर्म की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को समझ लिया है (एफएटीसीए/सीआरएस निर्देशों के साथ पढ़ें) और एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि इस फॉर्म पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य, सही और पूर्ण है. मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैंने एफएटीसीए सीआरएस के नियम और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और एतद्वारा इसे स्वीकार करता हूँ.

नाम:	पद	
दिनांक:	स्थान:	

(i) यू.एस. पर्सन के लिए एक्जेंपशन कोड:

कोड	उप-श्रेणी
ए	धारा 501(ए) के तहत कर से छूट प्राप्त संगठन या धारा 7701(ए)(37) में परिभाषित कोई व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना
बी	युनायटेड स्टेट्स या इसकी कोई भी एजेंसी या साधन
सी	कोई राज्य, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, युनायटेड स्टेट्स के अधीन, या उनके किसी भी राजनीतिक उपविभाग या साधन के अधीन
डी	एक निगम जिसका स्टॉक नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित सिक्क्योरिटीज मार्केट में खरीदा-बेचा जाता है, जैसा कि रजि. सेक्शन 1.1472-1(सी)(1)(1) में वर्णित है
ई	एक निगम जो रजि. धारा 1.1472-1(सी)(1)(1) में वर्णित निगम के समान विस्तारित संबद्ध समूह का सदस्य है.
एफ	सिक्क्योरिटीज, कमोडिटीज या डेरिवेटिव फायनांशियल इंस्ट्रुमेंट्स (जिसमें नेशनल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, वायदा, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन्स शामिल हैं) का डीलर जो युनायटेड स्टेट्स या किसी राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत है
जी	एक रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट
एच	धारा 851 में परिभाषित एक विनियमित निवेश कंपनी या 1940 के निवेश कंपनी अधिनियम के तहत कर वर्ष के दौरान हर समय पंजीकृत एक इकाई
आई	धारा 584(ए) में परिभाषित एक सामान्य ट्रस्ट फंड
जे	धारा 581 में परिभाषित एक बैंक
के	एक ब्रोकर
एल	धारा 664 के तहत या धारा 4947(ए)(1) में वर्णित कर से छूट प्राप्त ट्रस्ट
एम	धारा 403(बी) प्लान या धारा 457(जी) प्लान के तहत कर मुक्त ट्रस्ट

13. निदेशक/साझेदारों/वरिष्ठ प्रबंधन व्यक्ति*/ट्रस्टी, ऑथर्स, ट्रस्ट के सेटलर, संरक्षक, लाभार्थियों की सूची.

दिनांक:

सेवा में

शाखा प्रबंधक,

_____ शाखा

आरबीएल बैंक लिमिटेड

विषय: आरबीएल बैंक लिमिटेड की _____ शाखा के साथ _____ खाता खोलना

माननीय महोदय,

यह मे _____ का खाता खोलने के संबंध में है जिसका संविधान _____

के रूप में है. कृपया उपर्युक्त खाते के लिए निदेशकों/साझेदारों/वरिष्ठ प्रबंधन*/ट्रस्टी/ऑथर्स/सेटलर/संरक्षक (यदि कोई हो)/लाभार्थियों की सूची नीचे देखें:

अनु.#	नाम	संबंध (यानी निदेशक/नियुक्त साझेदार/वरिष्ठ प्रबंधन व्यक्ति*/ट्रस्टी, ऑथर्स, सेटलर, संरक्षक (यदि कोई हो), ट्रस्ट के लाभार्थी)	पदनाम (यदि कोई हो)

13. निदेशक/साझेदारों/वरिष्ठ प्रबंधन व्यक्ति*/ट्रस्टी, ऑर्थर्स, ट्रस्ट के सेटलर, संरक्षक, लाभार्थियों की सूची.

अनु.#	नाम	संबंध (यानी निदेशक/नियुक्त साझेदार/वरिष्ठ प्रबंधन व्यक्ति*/ट्रस्टी, ऑर्थर्स, सेटलर, संरक्षक (यदि कोई हो), ट्रस्ट के लाभार्थी)	पदनाम (यदि कोई हो)

भवदीय,

ग्राहक का नाम और मुहर

(एमओपी के अनुसार हस्ताक्षर)

ध्यान दें: उपरोक्त तालिका में संस्थान के संविधान के अनुसार निम्नलिखित विवरण शामिल होने चाहिए

- प्रायवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/वन पर्सन कंपनी (ओपीसी): कंपनी के मामले में, वरिष्ठ प्रबंधन* और निदेशकों के नाम अनिवार्य हैं.
- साझेदारी फर्म/लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप: सभी पार्टनर्स के नाम अनिवार्य हैं.
- ट्रस्ट: लाभार्थियों, ट्रस्टियों, सेटलर, संरक्षक (यदि कोई हो) और ट्रस्ट के ऑर्थर्स के नाम आवश्यक हैं.

*वरिष्ठ प्रबंधन का अर्थ है उच्चतम कार्यकारी प्रबंधन/उच्च प्रबंधन से है, यानी किसी संस्थान के प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर ऐसे व्यक्ति जिनके पास उस संस्थान के प्रबंधन के दैनिक कार्य होते हैं.

14. पार्टनरशिप घोषणा

दिनांक:

हम, अधोहस्ताक्षरी, एतद्वारा घोषणा करते हैं कि हम (COMPANY NAME) मे. के नाम और शैली में व्यवसाय करने वाली फर्म के साझेदार हैं

हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब तक आपको लिखित रूप में इसके विपरीत सूचित न किया जाए, आप हमें उक्त फर्म के साझेदार के रूप में मानें और फर्म की ओर से हमारे संबंधित हस्ताक्षरों का सम्मान करें.

हम आगे यह भी घोषणा करते हैं कि सभी साझेदार आपके प्रति उत्तरदायी होंगे: कोई भी (फर्म और/या उसके उत्तराधिकारियों और नियुक्तियों में किसी भी कारण से या उसके किसी भी प्रकार के विघटन के बावजूद)

आपकी बहियों में फर्म के नाम पर बकाया किसी भी दायित्व पर और जब तक ऐसे सभी दायित्वों की समाप्ति नहीं हो जाती तब तक हम इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट (आईपीए), 1932 के तहत खुद को पंजीकृत कराने का वचन देते हैं.

फर्म के इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट (आईपीए), 1932 के तहत एक फर्म के रूप में पंजीकृत होने के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है.

हम आपसे अनुरोध करते हैं और आपको अधिकृत करते हैं कि आप फर्म के साझेदारों के हस्ताक्षर के तहत उक्त खाते के प्रचालन के संबंध में प्रचालनों और अनुदेशों का सम्मान करें, जिसमें बैंक के साथ फर्म द्वारा चैनल और सभी चेक, गारंटी या अन्य आदेश शामिल हैं, जो फर्म की ओर से निकाले जा सकते हैं या स्वीकार किए जा सकते हैं या नोट या नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स पारित किए जा सकते हैं या आपके स्वामित्व वाली फर्म की रसीदें हैं और ऐसे चेक, गारंटी, ऑर्डर्स, बिल, नोट्स या नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स को आपके साथ फर्म के खाते में डेबिट करें, चाहे ऐसा खाता या खाते फिलहाल क्रेडिट या ओवरड्रां हों या ओवरड्रां डेबिट हो सकते हैं, जिसके प्रतिफल में हम ओवरड्राफ्ट और ब्याज के भुगतान के लिए संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होने के लिए सहमत हैं.

हम वचन देते हैं कि फर्म के संविधान में परिवर्तन या फर्म के विघटन की स्थिति में, हम आवश्यक दस्तावेजों के साथ संविधान या विघटन में किसी भी ऐसे परिवर्तन की बैंक को लिखित रूप में पर्याप्त सूचना देंगे. खाता खोलने के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और उनकी सामग्री सत्य और सही है.

घोषणा: हम पुष्टि करते हैं कि हमने नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बचत/चालू/जमा खातों और डेबिट कार्ड पर लागू नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और उन्हें स्वीकार करते हैं.

नाम:		
हस्ताक्षर (फर्म की मुहर के साथ)	साझेदार	साझेदार

15. घोषणा

मैं/हम भारत के निवासी हूँ/हैं. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी सत्य और सही है. मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी ने बैंक की वेबसाइट www.rbl.bank.in पर प्रकाशित नियमों व शर्तों के सभी प्रावधानों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने और उनसे बाध्य होने के लिए सहमत हूँ, जो आरबीएल बैंक में मेरे/हमारे सभी खाते, वर्तमान और भविष्य में खोलने और विभिन्न सेवाओं से संबंधित हैं, जिनमें एटीएम/डेबिट कार्ड/मोबाइल बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग/फोन बैंकिंग/बिल भुगतान सुविधा आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं. मैं/हम समझते हैं कि बैंक अपने विवेक से मुझे/हमें कोई सूचना दिए बिना किसी भी सेवा को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद कर सकता है. मैं/हम हम सहमत हैं कि यदि मेरे/हमारे निवेदन पर समय पूर्व निकासी की अनुमति दी जाती है तो जमाराशि पर ब्याज के भुगतान की अनुमति समय समय पर बैंक/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट विद्यमान नियमों के अनुसार दी जा सकती है. मैं/हम बैंक या उसके एजेंटों को आवश्यकता के अनुसार संदर्भ/पूछताछ करने और किसी/सारी जानकारी देने/साझा करने/आंशिक रूप से क्रेडिट ब्यूरो/वैधानिक प्राधिकरणों/अन्य एजेंसियों के साथ साझा करने के लिए अधिकृत करते हैं, जैसा कि आवश्यक या उचित समझा जाए. मैं/हम इस बात की पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि आरबीएल बैंक में खाता खोलने के लिए मेरे/हमारे द्वारा प्रदान किया गया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आरबीएल बैंक में रखे गए किसी अन्य खाते में पहले से पंजीकृत नहीं है. यदि ऐसा कोई खाता पाया जाता है, तो नया खाता नहीं खोला जा सकता है या नए खाते पर रोक लगाई जा सकती है.

मैं/हम अपने द्वारा दिए गए विवरण में किसी भी परिवर्तन के बारे में आपको तुरंत सूचित करने का वचन देते हैं. यदि कोई भी सूचना झूठी, असत्य, भ्रामक या गलत तरीके से प्रस्तुत की गई पाई जाती है, तो मैं/हम जानते हैं कि इसके लिए मैं/हम उत्तरदायी हो सकते हैं.

मैं/हम अपने पत्राचार के पते या संविधान में किसी भी परिवर्तन के बारे में आरबीएल बैंक को सूचित करने का वचन देते हैं, तथा मैं/हम अपने खाते को एक शाखा से दूसरी शाखा में स्थानांतरित करने की स्थिति में पते का प्रमाण प्रस्तुत करेंगे.

मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं और घोषणा करते हैं कि हमें किसी भी लागू कानूनी, विनियामक, अनुबंधात्मक या किसी अन्य प्रावधान द्वारा खाते खोलने और/या बनाए रखने या किसी अन्य तरीके से आरबीएल बैंक के साथ लेन-देन करने से प्रतिबंधित/रोका/सीमित नहीं किया गया है.

मैं/हम, इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि मैं/हम किसी तीसरे पक्ष/ग्राहक के साथ किसी भी गैर-प्रकटीकरण समझौते से बंधे नहीं हूँ जो मुझे/हमें आरबीएल बैंक को किसी भी लेनदेन और ग्राहक विवरण का खुलासा करने से रोकता है और इसके अलावा लागू कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार आरबीएल बैंक द्वारा आवश्यक किसी भी आवश्यक ग्राहक जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हूँ.

डेबिट कार्ड के लिए: मैं/हम बैंक को अधिकृत करते हैं और सहमति देते हैं कि वह मुझे/हमें, बैंक से प्राप्त खाता संबंधी सेवाओं और उत्पादों के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित आवेदन पत्र/संबंधित दस्तावेजों में दी गई जानकारी को बैंक की शाखाओं/अधीनस्थ कंपनियों/सहयोगी कंपनियों, सेवा प्रदाताओं, अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों, सरकारी या नि्यामक प्राधिकरणों या तीसरे पक्षों को केवाईसी सूचना सत्यापन के लिए, या अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए प्रकट करे, जिन्हें बैंक उचित समझे. मैं/हम गोपनीयता और अनुबंध की निजता के विशेषाधिकार का स्पष्ट रूप से त्याग करते हैं.

खाता-आधारित संबंध स्थापित करने के समय और उसके बाद, आवश्यकतानुसार मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत केवाईसी दस्तावेजों/सूचना में किसी भी अपडेट के मामले में; मैं/हम दस्तावेजों के अपडेट के तीस (30) दिनों के भीतर बैंक को ऐसे दस्तावेजों का अपडेट प्रस्तुत करेंगे.

मैं/हम एतद्वारा सीकेवाईसी रजिस्ट्री पर आवश्यक जानकारी अपलोड करने के लिए सहमति देते हैं. मैं अपनी पहचान और पते के सत्यापन के उद्देश्य से सीकेवाईसी रजिस्ट्री से अपने रिकॉर्ड को डाउनलोड करने और संग्रहीत करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ. मैं समझता हूँ कि मेरे केवाईसी रिकॉर्ड में मेरा नाम, पता, जन्म दिनांक, पैन नंबर आदि जैसी मेरा केवाईसी रिकॉर्ड/व्यक्तिगत जानकारी शामिल है.

ए. आरबीएल बैंक, समय-समय पर आवेदन पत्र में आपके व्यक्तिगत विवरण का उपयोग आपको मार्केटिंग जानकारी भेजने/आपसे संपर्क करके आरबीएल बैंक द्वारा अपने दम पर और सहयोग से या साझेदारों/तीसरे पक्षों के साथ गठजोड़ के माध्यम से पेश किए जाने वाले उत्पादों, सेवाओं या प्रचार प्रस्तावों के बारे में सूचित करने के लिए करना चाहेगा. नीचे अपनी प्राथमिकताएँ देकर आप आरबीएल बैंक को एसएमएस, फोन कॉल और ईमेल के माध्यम से आपसे संपर्क करने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं:

- ☐ हाँ, बैंक मुझसे संपर्क कर सकता है ☐ नहीं, बैंक मुझसे संपर्क नहीं कर सकता

15. घोषणा (जारी..)

बी. मैं/हम बैंक को अधिकृत करता हूँ/करते हैं कि वह बिना किसी विशेष सहमति या प्राधिकरण के, मेरे/हमारे द्वारा प्रदान की गई/संबंधित जानकारी/डेटा को आरबीएल बैंक की समूह कंपनियों/सहयोगियों/सेवा प्रदाताओं/अधीनस्थ कंपनियों/सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करे, प्रकट करे, आदान-प्रदान करे या किसी भी तरीके से उपयोग करे, जिसके साथ बैंक ने बैंक द्वारा पेश किए गए किसी भी उत्पाद/सेवाओं के विपणन/प्रस्ताव/बिक्री के उद्देश्य से 'सेवाओं/उत्पादों' के प्रावधान के लिए कोई व्यवस्था की है/करने का प्रस्ताव रखा है।

☐ हाँ ☐ नहीं, मैं अपनी जानकारी/डेटा को साझा करने, प्रकट करने, आदान-प्रदान करने या उपयोग करने के लिए सहमति नहीं देता हूँ।

☐ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं/लाभार्थी स्वामी/पीओए के केवाईसी में कोई परिवर्तन नहीं है।

☐ निकाय की केवाईसी जानकारी की मौजूदा स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।

मैं/हम ऑटो स्वीप सुविधा (मनी मैक्स सुविधा) के लिए निम्नलिखित बातों से सहमत, वचनबद्ध और घोषित करता/करती हूँ/हैं:

- स्वीप आउट/इन सुविधा का लाभ उठाने के लिए पैन अनिवार्य है। सावधि जमा राशियाँ केवल ऊपर वर्णित डिफॉल्ट अवधि के लिए, लागू ब्याज दरों पर बनाई जाती हैं।
- स्वीप-आउट सुविधा के माध्यम से बुक की गई सावधि जमा राशियों पर स्वीप-इन सुविधा डिफॉल्ट रूप से सक्षम होगी।
- सावधि जमा (एफडी) अकाउंट रु.5000 प्रति यूनिट की दर से खोला जाएगा। दिन के अंत में लिंक किए गए खाते में उपलब्ध अतिरिक्त धनराशि के लिए एक सावधि जमा बुक किया जाएगा।
- एटीएम के माध्यम से, क्लियरिंग/कलेक्शन में प्राप्त चेक या काउंटर पर किसी अन्य माध्यम से भुगतान या बचत/चालू खाते से धनराशि अंतरित करने के मेरे/हमारे विशेष अनुरोध पर निकासी/ओवरड्राफ्ट आवश्यकता।निकासी/स्वीप-इन सुविधा ऑटोमैटिक होगी और एलआईएफओ आधार (लास्ट इन फर्स्ट आउट) में रु.1000 के गुणक में होगी। इस प्रकार निकाली गई सावधि जमा राशियों पर निकासी के दिनांक से ब्याज मिलना बंद हो जाएगा और निकासी के दिनांक तक ब्याज, यदि देय हो, तो आरबीआई के मौजूदा निर्देशों/बैंक की नीति के अनुसार अदा किया जाएगा। न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता में किसी भी कमी को स्वीप-इन सुविधा के माध्यम से पूरा नहीं किया जाएगा।
- समयपूर्व निकासी: बैंक की नीति के अनुसार पूरी निकासी राशि पर समयपूर्व बंद करने का जुमाना लागू होगा। फिर भी, बैंक में डिपॉजिट रहने की अवधि के लिए सावधि जमा बनाने समय अनुबंधित दर के अनुसार ब्याज दर लागू होगी।
- स्वीप-आउट सुविधा के माध्यम से बुक की गई सावधि जमा राशि के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट एड्वाइस नहीं दिया जाएगा।
- उक्त एफडी पर कर्ज/ओवरड्राफ्ट सुविधा नहीं दी जाएगी।
- नामांकन: मैं/हम बैंक को मनी मैक्स सुविधा के माध्यम से बुक की गई जमा राशियों के लिए बचत/चालू खाता में मेरे/हमारे पंजीकृत नामिती पर विचार करने के लिए अधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं..
- मैं/हम समझते हैं कि स्व-प्रचालित माइनर अकाउंट में स्वीप-आउट सुविधा का लाभ नहीं उठाया जा सकता।
- स्वीप-आउट सुविधा के माध्यम से बुक की गई एफडी पर ब्याज परिपक्वता के समय देय होगा और मासिक या त्रैमासिक ब्याज भुगतान विकल्प उपलब्ध नहीं होंगे।
- उत्तरजीविता खंड: स्वीप-आउट सावधि जमा सहित सभी माध्यमों से बुक की गई सावधि जमा, आवर्ती/स्मार्ट डिपॉजिट्स के मामले में, जिनका संचालन मोड 'दोनों' में से कोई एक या उत्तरजीवी' या 'पूर्व या उत्तरजीवी' या 'कोई एक या उत्तरजीवी' है और ऐसी जमा राशियों के समयपूर्व समापन के लिए, मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि उत्तरजीविता खंड के साथ संयुक्त सावधि जमा राशियों के मामले में, जमाकर्ताओं में से किसी एक की मृत्यु की स्थिति में, निवेदन करने पर उत्तरजीवी/उत्तरजीवियों को सावधि जमा राशि का समयपूर्व भुगतान करके बैंक का दायित्व समाप्त हो जाएगा।
- समय-समय पर प्रचलित आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार स्रोत पर कर काटा जाएगा। यदि टीडीएस कटौती के समय अर्जित ब्याज लागू टीडीएस की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ब्याज आवेदन के समय मौजूदा सावधि जमा से टीडीएस की राशि काटी जा सकती है।
- मैं/हम समझते हैं कि ऑटो स्वीप सुविधा को निष्क्रिय करने पर, कोई नई जमा राशि ऑटो क्रिएट नहीं की जाएगी।
- मैं/हम समझते हैं कि बैंक लागू नियमों और शर्तों को बदल/संशोधित/आशोधित कर सकता है और खाते के नियम और शर्तें आरबीएल बैंक की वेबसाइट/निकटतम शाखा में उपलब्ध हैं।
- मैं/हम बैंक को ऑटो-रिन्यूअल सुविधा के साथ सावधि जमा खोलने और परिपक्वता के समय समान अवधि में प्रचलित लागू ब्याज दरों के साथ ब्याज और मूलधन दोनों को नवीनीकृत करने के लिए अधिकृत करते हैं।
- मैं/हम आरबीएल बैंक की वेबसाइट <https://www.rbl.bank.in/terms-and-conditions> पर सावधि जमा राशि के लिए उपलब्ध सामान्य नियमों और शर्तों को स्वीकार करते हैं।

'फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010 और फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) रूल्स, 2011' के अंतर्गत घोषणा

☐ मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि नियमित परिचालन के भाग के रूप में, मुझे/हमें विदेश से कोई विदेशी योगदान प्राप्त नहीं होता है और यदि भविष्य में हमें ऐसा कोई योगदान प्राप्त होता है तो हम बैंक को पर्याप्त सूचना के साथ अग्रिम रूप से सूचित करेंगे या

☐ मैं/हम पुष्टि करते हैं कि नियमित परिचालन के भाग के रूप में, हमें विदेश से विदेशी दान प्राप्त होता है। विदेशी योगदान को [] बैंक के एफसीआरए खाते में जमा करने के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) से अलग से मंजूरी मांगी गई है, जिसे विशेष रूप से ऐसे एफसीआरए क्रेडिट के लिए खोला गया है और मैं/हम पुष्टि करता हूँ/करते हैं कि आरबीएल बैंक के खाते में,

- 'अन्य एफसीआरए खाता' खोलने के लिए, हम एसबीआई नई दिल्ली मुख्य शाखा में रखे गए अपने 'एफसीआरए खाते' के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) से मंजूरी प्रस्तुत करेंगे और 'एफसीआरए उपयोग खाता' खोलने के लिए हम एसबीआई नई दिल्ली मुख्य शाखा में रखे गए 'एफसीआरए खाते' और 'अन्य एफसीआरए खाता' के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी प्रस्तुत करेंगे, यदि फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010 और उसके तहत बनाए गए किसी भी दिशा-निर्देश, नियम और विनियमन के अनुपालन में खोला गया है।
- हम प्रमाणित करते हैं कि यह खोला जा रहा एकमात्र 'अन्य एफसीआरए खाता' है और हमारे पास कोई अन्य 'अन्य एफसीआरए खाता' नहीं है।
- आरबीएल बैंक में खोले गए 'अन्य एफसीआरए खाते' में कोई धन प्रेषण/विदेशी योगदान जमा नहीं किया जाएगा तथा सभी जमा राशियाँ एसबीआई नई दिल्ली मुख्य शाखा में रखे गए 'एफसीआरए खाते' से आएंगी। आरबीएल बैंक के साथ खोले गए 'एफसीआरए उपयोग खाते' के मामले में, सभी क्रेडिट या तो एसबीआई नई दिल्ली मुख्य शाखा के साथ रखे गए 'एफसीआरए खाते' या 'अन्य एफसीआरए खाते' से होंगे।
- यदि पंजीकरण/पूर्व अनुमति के लिए आवेदन एमएचए द्वारा निर्धारित समय में अस्वीकार कर दिया जाता है, तो हम बैंक को सूचित करेंगे।
- हम लागू विनियामक दिशानिर्देशों, कानूनों और विनियमन का अनुपालन करेंगे; जिसमें फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) ऐक्ट, 2010 और फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) रूल्स, 2011 या समय-समय पर लागू होने वाले नियम शामिल हैं, लेकिन जो इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

16. *अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/हस्ताक्षरकर्ताओं के हस्ताक्षर

(यदि यह रिक्त है तो कृपया इस फॉर्म पर हस्ताक्षर न करें। कृपया सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित अनुभाग और कॉलम आपकी संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से भरे गए हैं और उसके बाद ही फॉर्म पर हस्ताक्षर करें)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1		अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2	
Signature of Authorised Signatory with stamp		Signature of Authorised Signatory with stamp	
नाम []	दिनांक [D D M M Y Y Y Y]	नाम []	दिनांक [D D M M Y Y Y Y]
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3		अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 4	
Signature of Authorised Signatory with stamp		Signature of Authorised Signatory with stamp	
नाम []	दिनांक [D D M M Y Y Y Y]	नाम []	दिनांक [D D M M Y Y Y Y]

17. लाभकारी स्वामित्व की घोषणा

दिनांक:

प्रति

शाखा प्रबंधक,

शाखा

आरबीएल बैंक लिमिटेड

विषय: आरबीएल बैंक लिमिटेड की शाखा के साथ खाता खोलना

माननीय महोदय,

मैं/हम इस बात की पुष्टि और घोषणा करते हैं कि उपरोक्त दिनांक को: (*कृपया सही बॉक्स पर चिन्ह लगाएँ)

- ☐ निम्नलिखित प्राकृतिक व्यक्ति (नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध) नियंत्रण का प्रयोग करते हैं या अंततः नियंत्रित स्वामित्व संबंधित हित रखते हैं, यानी 10% (कंपनी/साझेदारी फर्म, एलएलपी), 15% (असंगठित असोसिएशन या इंडिविजुअल्स का निकाय) से अधिक शेयरों/पूँजी/लाभ/संपत्ति का स्वामित्व/हकदार होना या मतदान अधिकार, समझौते, व्यवस्था आदि के माध्यम से नियंत्रण करना. या
- ☐ कोई भी प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है जो नियंत्रण का प्रयोग करता है या नियंत्रित स्वामित्व हित रखता है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इसलिए सभी साझेदारों (साझेदारी के लिए)/वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों (कंपनियों/असंगठित असोसिएशन या व्यक्तियों के निकाय के लिए) का विवरण जो प्राकृतिक व्यक्ति हैं, नीचे दी गई तालिका में दिया गया है. या
- ☐ निम्नलिखित प्राकृतिक पर्सन्स (नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध) में ट्रस्ट के ऑथर, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 10 प्रतिशत या उससे अधिक हित वाले लाभार्थी और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं.
(*यदि आपने उपरोक्त में से किसी पर भी निशान लगाया है, तो कृपया घोषणा पर हस्ताक्षर करने से पहले नीचे दी गई तालिका को पूरा करें)

अनु. क्र.#	लाभार्थी स्वामी* (बीओ) का नाम	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	बीओ का पदनाम (अर्थात बीओ/ट्रस्टी/सेटलर/ निदेशक/साझेदार/वरिष्ठ व्यक्ति आदि) बीओ परिभाषा के अनुसार होल्टिंग का प्रतिशत	कंपनी की मुहर के साथ हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				

Signature with Company stamp

ग्राहक का नाम:

लाभार्थी स्वामियों* के बारे में स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणी:

- क) **अनलिस्टेड कंपनी:** लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर, या एक या अधिक कानूनी व्यक्तियों के माध्यम से, नियंत्रण स्वामित्व हित रखते हैं या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखते हैं. इस उप-खंड के उद्देश्य के लिए - स्वामित्व हित को नियंत्रित करने का अर्थ है कंपनी के शेयरों या पूँजी या मुनाफे के 10% से अधिक प्रतिशत का स्वामित्व या हकदारी. नियंत्रण के शामिल होगा अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करना या उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा.
- बी) **साझेदारी फर्म:** लाभकारी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से साझेदारी की पूँजी या मुनाफे के 10% से अधिक का स्वामित्व/हकदार है.
- सी) **असंगठित असोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय:** लाभकारी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या साथ मिलकर या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से ऐसे असोसिएशन या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूँजी या मुनाफे के 15% से अधिक का स्वामित्व या हकदारी रखता है.
- डी) **वरिष्ठ प्रबंधन व्यक्ति:** जहां उपरोक्त (ए) या (बी) या (सी) के तहत किसी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, लाभकारी स्वामी वह व्यक्ति है, जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद धारण करता है.
- ई) **ट्रस्ट:** लाभकारी स्वामियों की पहचान में ट्रस्ट के ऑथर, ट्रस्टी, ट्रस्ट में 10% प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी वाले लाभार्थियों और नियंत्रण या स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से ट्रस्ट पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखने वाले किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी.

ओवीडी के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से एक को लाभार्थी स्वामियों (प्राकृतिक व्यक्तियों) के लिए पहचान प्रमाण के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए

आधार	ड्राइविंग लाइसेंस (जो एक्सपायर न हुआ हो)	पासपोर्ट (जो एक्सपायर न हुआ हो)	वोटर आईडी कार्ड	नरेगा जॉब कार्ड	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से पत्र
------	--	---------------------------------	-----------------	-----------------	------------------------------------

18. *केवल बैंक उपयोग के लिए

संविधान ☐ साझेदारी ☐ एचयूएफ ☐ सोसायटी ☐ ट्रस्ट ☐ पीवीटी लिमिटेड ☐ पब्लिक लिमिटेड ☐ एलएलपी ☐ अन्य

*केवाईसी विवरण	*दस्तावेज का नाम	*दस्तावेज आईडी नं.	*जारी करने का स्थान	*जारी करने का दिनांक	समाप्ति का दिनांक	*जारीकर्ता प्राधिकारी
*पसंदीदा डाक पते का प्रमाण						
पंजीकृत पते का प्रमाण						
व्यवसाय के मुख्य स्थान का प्रमाण						
*केवाईसी विवरण	*दस्तावेज का नाम	*दस्तावेज आईडी नं.	*जारी करने का स्थान	*जारी करने का दिनांक	समाप्ति का दिनांक	*जारीकर्ता प्राधिकारी
*पहचान का प्रमाण 1						
*पहचान का प्रमाण 2						

[illegible]

NON-INDV/Oct-25/Ver.1.0

इसके लिए आवेदन प्राप्त हुआ ☐ बचत खाता ☐ चालू खाता ☐ सावधि जमा	संदर्भ संख्या
प्रारंभिक भुगतान विवरण	
आरंभिक राशि रु. <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> शब्दों में	
☐ नकद	
☐ चेक नं. <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> दिनांक <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> इन पर आहरित बैंक शाखा	
☐ मेरे आरबीएल बैंक खाते में डेबिट करें <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> शाखा कोड <table border="1" style="display: inline-table; width: 50px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> ध्यान दें: डीडी/पीओ/चेक क्लियरेंस के अधीन	
राशि अवधि व्याज दर % प्रति वर्ष (केवल एफडी के लिए)	
बैंक अधिकारी का नाम (जाँचकर्ता) कृपया किसी भी पत्राचार के लिए अपना संदर्भ क्रमांक बताएं	Signature of Bank Official & Bank Seal कर्मचारी आईडी <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table> दिनांक <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; vertical-align: middle;"></table>

एसएमएस बैंकिंग: सभी एसएमएस बैंकिंग पूछताछ के लिए HELP टाइप करें और 9223366333 पर भेजें	 बिज़बैंक आरबीएल बिजबैंक – मोबाइल बैंकिंग ऐप का नवीनतम संस्करण डाउनलोड करने के लिए यहाँ स्कैन करें	इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करें: www.rbl.bank.in और अपने खाते तक आसान पहुँच का आनंद लें	डेबिट कार्ड: श्रेणी में बेहतरीन सुविधाएँ और लाभ के लिए उन्हें चुनें जो हैं बेहतरीन
--	---	--	--

20. सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें

चालू और बचत खाता

- खाता क्रियाशील होने पर ग्राहक निकटतम शाखा में जाकर निःशुल्क व्यक्तिगत पासबुक और/या चेक बुक का अनुरोध कर सकता है। ग्राहकों को पंजीकृत ईमेल आईडी पर मासिक ई-स्टेटमेंट प्राप्त होंगे। ग्राहक के विशिष्ट अनुरोध पर कागजी विवरण प्रदान किए जाते हैं। बचत खाते से नकद निकासी (लागू सीमाओं के अधीन) पासबुक और पहचान के दस्तावेजों के साथ निकासी पर्वों का उपयोग करके लागू सीमाओं के अधीन अनुमत है।
- बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित दरों पर दैनिक समापन शेष पर त्रैमासिक आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। वर्तमान दरों के लिए, कृपया www.rbl.bank.in पर लॉग ऑन करें।
- सभी कागजी सामान 'पसंदीदा डाक पते' पर भेजे जाएंगे और डिजिटल डिलिवरेबल्स वर्तमान पंजीकृत ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।
- बैंक पंजीकृत आदाता को भुगतान के लिए खातों से ऑटो डेबिट के लिए स्थायी निर्देश ('एसआई') सुविधा प्रदान करता है। धन की कमी के कारण एसआई निष्पादित करने में विफलता या एसआई के निष्पादन में शामिल तीसरे पक्ष द्वारा होने वाली देरी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
- वेबसाइट और शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित शुल्कों की अनुसूची में दर्शाई गई दरों पर नीचे दी गई सेवाओं के लिए बैंक शुल्क लागू होते हैं।
 - नकद जमा और निकासी, खातों की श्रेणी के आधार पर निर्धारित न्यूनतम शेष राशि का रखरखाव न करना, एसएमएस अलर्ट, प्रेषण, खाता बंद करने का शुल्क आदि।
- डेबिट कार्ड 'निष्क्रिय' स्थिति में भेजा जाता है/भेजा जाएगा। सक्रिय करने के लिए, आपको पहले अपना पिन जनरेट करना होगा। भारत में एटीएम और पीओएस लेन-देन डिफॉल्ट रूप से सक्रिय होते हैं।
- डेबिट कार्ड के लेन-देन अधिकार/सीमा को निम्नलिखित विकल्पों के माध्यम से सक्षम/अक्षम/संशोधित किया जा सकता है— इंटरनेट बैंकिंग/मोबाइल बैंकिंग/आईवीआर/शाखा।
- डेबिट कार्ड शुल्क [>>](http://www.rbl.bank.in) पर दिए सेवा शुल्क और प्रचारों पर शुल्कों की अनुसूची के अनुसार लागू होगा।
- ऐसे खाते जिनमें 24 महीने की निरंतर अवधि के लिए कोई ग्राहक प्रेरित लेन-देन (जैसे वित्तीय, गैर-वित्तीय या केवाईसी अपडेशन) नहीं है, उन्हें 'निष्क्रिय/अक्रियाशील खाते' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। किसी भी माध्यम से नकद जमा या निकासी की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ग्राहक शाखा में न जाए और खाते को सक्रिय करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करें।
- बैंक खातों में जमा राशि समय-समय पर विनियमों द्वारा निर्धारित राशि तक डीआईसीजीसी के साथ बीमित होती है। जमा राशि बीमा के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया www.dicgc.org.in पर लॉग ऑन करें।
- बैंक ने ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए बैंक की वेबसाइट www.rbl.bank.in पर 'ग्राहक सेवा' के अंतर्गत शिकायत निवारण नीति प्रदर्शित की है। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, कृपया अपनी निकटतम शाखा पर जाएं या बैंक की वेबसाइट www.rbl.bank.in पर कस्टमर सर्विस पर लॉग ऑन करें या +91 22 6232 7777 पर कॉल करें।
- बैंक डीएनसी के लिए पंजीकृत होने के बावजूद महत्वपूर्ण खाता संबंधी जानकारी के लिए ग्राहक से संपर्क करेगा। (जैसे अनधिकृत लेनदेन, आदि)

सावधि जमा

- अनुबंधित दर पर ब्याज तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है। ब्याज की गणना के उद्देश्य से वर्ष को 365 दिन माना जाता है। पूर्ण या आंशिक निकासी सहित जमा को समय से पहले बंद करने पर, उस अवधि के लिए लागू दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए एफडी वास्तव में बैंक के पास रही है, जो 1% के दंड के अधीन है। यदि जमा राशि न्यूनतम अवधि से कम अवधि के लिए बैंक के पास रही है, तो आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कोई ब्याज देय नहीं है।
- ई-फिक्स्ड डिपॉजिट संबंधी सलाह वर्तमान पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी।
- नवीनीकरण, जमा राशि को बंद करने (पूरी तरह या आंशिक रूप से) के निर्देश परिपक्वता के दिनांक से 2 दिन पहले तक दिए जा सकते हैं। स्वतः नवीनीकरण पर, परिपक्वता मूल्य में से टीडीएस (यदि कोई हो) घटाकर परिपक्वता दिनांक से नवीनीकरण किया जाएगा।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए और उसके बाद बुक की गई प्रत्येक नई जमा राशि के लिए अप्रैल में नया फॉर्म 15जी/एच जमा करें।
- टैक्स सेवर डिपॉजिट की अवधि 5 वर्ष (लॉक-इन) है। समय से पहले निकासी या कर्ज या किसी अन्य लियन की अनुमति नहीं है।
- भुगतान किया गया ब्याज लागू दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन होगा। बिना पैन नंबर के आवेदन पर आयकर नियमों के अनुसार अधिक टीडीएस लगेगा।
- जमा राशि के समय से पहले बंद होने पर, अदा किया गया अतिरिक्त ब्याज मूल राशि से वसूल किया जाएगा। स्रोत पर कर कटौती और सरकार के पास जमा की गई राशि वापस नहीं की जाएगी। ग्राहक आयकर अधिकारियों से रिफंड का दावा कर सकते हैं। विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया [>>](http://www.rbl.bank.in) अन्य >> सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें पर विजिट करें।